न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 83/2016
स्वीटी कुमारी बनाम राज्य व अंजू कुमारी

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत वाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में दायर वाद संख्या– 71/2013–14 में पारित आदेश ज्ञापांक 785–1 दिनांक– 06.06.2014 के विरूद्ध श्रीमती स्वीटी कुमारी के द्वारा क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 201/2014 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या– 3226 दिनांक– 11.08.2015 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तान्तरित किया गया हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि महिषी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत नहरवार, वार्ड नं0– 1 आँगनवाड़ी केन्द्र हरिजन टोला, केन्द्र संख्या– 240 के आंगनवाड़ी सेविका के चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया। आवेदिका सहित कुल 10 अभ्यर्थी आवेदन पत्र समर्पित किये हैं, जिसके अनुरूप मेधा सूची का प्रकाशन दिनांक– 16.01.2013 को किया गया। मेधा सूची प्रकाशन के बाद उनके द्वारा आपत्ति दाखिल किया गया कि उसका नाम मेधा सूची के क्रमांक– 10 पर गलत मेधा सूची के क्रमांक– 10 पर गलत मेधा अंक 44.80 प्रतिशत दर्शाया गया है। जबकि, वास्तविक रूप से अपीलार्थी का मेधा अंक 56.57 प्रतिशत होता है। चूँकि अपीलार्थी का मैट्रिक प्राप्तांक 396/700 है, जिसका प्रतिशत अंक 56.57 प्रतिशत होता हैं, जिसके अनुसार अपीलार्थी का मेधा क्रमांक– 06 पर नाम होना चाहिए, जिसे सुधार कर मेधा सूची का प्रकाशन किया जाय। आपत्ति के बावजूद मेधा सूची का सुधार नहीं किया गया वे आम सभा की तिथि– 06.06.2013 को घोषणा कर दी गई। तदनुरूप दिनांक– 06.06.2013 को आम सभा की गई, किन्तु पोषक क्षेत्र के आम जनता उपस्थित नहीं हुए तथा मेधा सूची में हेर–फेर करने के कारण आम जनता के विरोध के कारण लाभुक वर्ग के आम लोग उपस्थित नहीं हुए तथा कोरम के अभाव में आम सभा स्थगित कर आम सभा अन्यत्र स्थल पर तिथि निर्धारित के बाद करने की घोषणा कर कार्यवाही समाप्त कर दी गई। प्रथम आम सभा दिनांक– 06.06.2013 के बाद काफी लम्बे अन्तराल के बाद बगैर किसी प्रकार का प्रचार–प्रसार के विपक्षी संख्या– 3, 4 के मेल में अन्य चयन समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक– 13.02.2014 को किसी सार्वजनिक स्थल पर आम सभा न कर व्यक्ति विशेष के घर पर विपक्षी अंजु देवी को गलत रूप से लाभ पहुँचाने के उद्धेश्य से आम सभा किया गया, जिसमें मार्गदर्शिका के अनुरूप पोषक क्षेत्र के 20 प्रतिशत लाभुक जनता की उपस्थिति अनिवार्य थी, जिसमें 10 प्रतिशत जनता जो अंजु देवी विपक्षी के पक्ष में थे, उपस्थिति दर्शाया गया तथा आम सभा की जानकारी नहीं होने के कारण 10 अभ्यर्थियों में से मात्र दो अभ्यर्थियों क्रमशः अंजु देवी एवं निक्की कुमारी उपस्थित हुई, जिसमें निक्की कुमारी का उम्र 18 वर्ष से कम दिखा कर उसके आवेदन को रद्ध करते हुए विपक्षी अंजु कुमारी, जिसका मेधा अंक अपीलार्थी से बहुत कम है, जिसे मेधा सूची में बगैर सुधार किये मेधा सूची के क्रमांक– 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एवं 10 की अभ्यर्थी को अनुपस्थित दर्शाते हुए आवेदन को रद्द कर दिया गया एवं विपक्षी अंजु देवी का चयन मार्गदर्शिका में वर्णित निहित प्रावधानों के विपरित किया गया। जानकारी होने पर पोषक क्षेत्र के आम जनता एवं अपीलार्थी द्वारा इसका काफी विरोध किया गया। विपक्षी अंजु देवी का मेधा अंक 50.33 प्रतिशत हैं। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि मेधा सूची हीं गलत बनाया गया तो चयन की अग्रेतर प्रक्रिया स्वतः विवादस्पद है, जिसका न्यायिक मुल्यांकन करना निहीतार्थ हैं।

अपीलार्थी ने अपने लिखित बहस के माध्यम से यह सूचित किया है कि वर्ष 2012 के मतदाता सूची के गृह संख्या– 39 अपीलार्थी का नाम नहीं है, बल्कि विश्वम्भर झा एवं अन्य का नाम है। विपक्षी गलत बयानबाजी किया है तथा गलत रूप से अपीलार्थी का नाम नगर परिषद वार्ड नं0–5 के वर्ष 2014 के विधानसभा नामावली संवर्धन सूची में दर्ज हो गया है, जिसकी जानकारी होने के उपरान्त दिनांक– 09.03.2014 को अपीलार्थी अपना एवं अपने पति का नाम विलोपित करवा लिया, जिसके लिए निर्वाचन रजिष्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप –7 में आवेदन देकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ली। इस प्रकार अपीलार्थी का वर्त्तमान में वार्ड नं0–5 के मतदाता सूची में नाम नहीं है और वह स्थाई रूप से ग्राम– बघौर में निवास करती है तथा ग्राम बघौर का हीं स्थायी निवासी हैं।

अपीलार्थी का आगे कहना है कि विपक्षी के गलत रूप से किये गये चयन के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या– 71/2013–14 दाखिल किया गया, जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों को सूचना दी गई व सुनवाई की गई। अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान इस तथ्य को रखा कि वाद में संधारित मेधा सूची क्रम 10 पर मेधा अंक 44.00 प्रतिशत दर्शाया गया है। जबकि वास्तविक रूप से अपीलार्थी का मेधा क्रम 6 एवं मेधा अंक 56.57 प्रतिशत होना चाहिए तथा आम सभा सार्वजनिक स्थल पर मार्गदर्शिका की कंडिका– 8.10, 8.11 के अनुरूप होना चाहिए

जैसा कि नहीं हुआ हैं। कण्डिका 8.12 के अनुसार 20 प्रतिशत लाभुकों का उपस्थिति अनिवार्य है, जो नहीं है तथा अन्तिम आम सभा दिनांक– 13.02.2014 की जानकारी समुचित रूप से पोषक क्षेत्र में नहीं दिया गया। कार्यवाही पंजी के अन्त में अध्यक्ष, वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर नहीं है। जिस वजह से 10 अभ्यर्थी में मात्र दो अभ्यर्थी उपस्थित हुई अंजु देवी के अलावे अन्य दुसरी निक्की कुमारी अभ्यर्थी थी, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम था यानि सभी कुछ एक साजिश के तहत विपक्षी अंजु कुमारी का अवैध रूप से चयन करने हेतु किया गया जो घोर अनियमितता का द्योतक है। इसलिए आवेदिका ने समय सीमा के अन्दर वाद दाखिल किया गया है, जो पोषणीय है का उल्लेख करते हुए विपक्षी के चयन को अवैध करार करने एवं चयन रद्द करने हेतु विधि सम्मत आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया हैं।

प्रतिपक्षी संख्या– 4 अंजू देवी का कहना है कि उनका चयन नहरवार पंचायत अन्तर्गत हरिजन टोला वार्ड नं0–1 आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 240 प्रखण्ड– महिषी, जिला– सहरसा में आयोजित आंगनवाड़ी सेविका चयन आम सभा दिनांक– 13.02.2014 को की गई तथा प्रतिपक्षी आज तक कार्यरत है और किसी लाभुक द्वारा प्रतिपक्षी अंजू देवी के खिलाफ कभी कोई आरोप नहीं लगाया गया हैं। जहाँ तक मेधा सूची में अपीलार्थी का कुल अंक 900 में 396 अंक प्राप्त करने पर उसे 44 प्रतिशत मेधा सूची अंक दिया गया, लेकिन अपीलार्थी ने कभी किसी प्रकार की आपत्ति उक्त मेधा सूची के नाम पर नहीं की और न मूल अंक पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र अंत तक दाखिल नहीं किया। यदि अपीलार्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अंक पत्र दिखलाया जाता तो उसमें सुधार कर मेधा सूची में मेधा अंक सुधार कर लिया जाता। लेकिन अंततः दिनांक– 06.06.2013 एवं 13.02.2014 के आम सभा में अपीलार्थी अनुपस्थित रही, जिस कारण मेधा अंक में सुधार कर अपीलार्थी का चयन नहीं किया जा सका। विभागीय मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 8. 3 में निर्देशित है कि संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति वार्ड की आम सभा में आवेदिका द्वारा दिखलाया जाना अनिवार्य होगा, साथ हीं उम्मीदवारों को कागजातों के साथ आम सभा में उपस्थित होना अनिवार्य है। लेकिन, अपीलार्थी न तो आम सभा में उपस्थित हुयी और न अपने कागजातों की मूल प्रति दाखिल हीं कर सकी, जिस कारण अपीलार्थी के मेधा अंक में सुधार नहीं किया जा सका और आम सभा में अनुपस्थिति के कारण उनके आवेदन पर विचार हीं नहीं किया जा सका, जो मार्गदर्शिक 2011 के अनुकूल है। इसमें किसी प्रकार कि अनियमितता नहीं बरती गयी है, जिसका पूर्ण विवेचन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक– 06.06.2014 में वर्णित किया है। इस प्रकार अपीलार्थी का सेविका पद पर चयन का दावा खोखला साबित होता हैं। जहाँ तक अपीलार्थी को सूचना दिये जाने का प्रश्न है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी क्षरा दोनों आम सभाओं की प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से सकिया गया था, लेकिन अपीलार्थी नहरवार पंचायत अन्तर्गत हरिजन टोला वार्ड नं0–1 में निवास नहीं करती है ओर वह सहरसा के प्रखण्ड– कहरा, थाना– सहरसा, डाकघर– सहरसा, नगर परिषद अन्तर्गत वार्ड नं0–5 के गृह संख्या– 39 के निवासी है जहाँ अपना घर बनाकर 7–8 वर्षो से पति मुन्ना कुमार सिंह तथा सास शांति देवी के साथ रहती आ रही है, जिसके संबंध में प्रतिपक्षी की ओर से शहर सहरसा की मतदाता सूची के क्रमांक– 516, 517, 518 की छाया प्रति अनुच्छेद–5 के रूप में संलग्न किया गया है, जिससे स्वतः प्रमाणित होता है कि वह पोषक क्षेत्र से बाहर की रहने वाली हैं। अपीलार्थी का यह अभिकथन किया गया कि अपीलार्थी का आधार कार्ड ग्राम पंचायत नहरवार के वार्ड नं0–1 का बना है जो फिलहाल का हैं। क्योंकि, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पास इस प्रकार का कोई आधार कार्ड दाखिल नहीं किया गया था, जिस कारण आम सभा के समय उन्हें उक्त आधार कार्ड हासिल नहीं था। इसलिए अपीलार्थी का यह अभिकथन कि वह नहरवार पंचायत वार्ड नं0–1 हरिजन टोला का चयन के समय निवास करती थी, यह सरासर गलत एवं बेबुनियाद हैं। उक्त चयन में अपीलार्थी के अलावे 9 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें निक्की कुमार का उम्र 18 वर्ष से कम रहने के कारण उसके आवेदन पर विचार नहीं किया गया जा सका शेष 8 (आठ) अनुपस्थित रही। अन्त में प्रतिपक्षी संख्या–4 अंजू देवी ने अपने प्रतिउत्तर के माध्यम से उल्लेख की है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने सभी बिन्दुओं पर विचार कर गहन विवेचन कर आदेश पारित किये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के अपील आवेदन खारीज कर देने के काबिल है तथा निम्न न्यायालय के आदेश को बहाल रखने की याचना की हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। मेधा सूची में गलती तथा प्रक्रियात्मक त्रुटि है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

9.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

9.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 445-2 / विधि, सहरसा, दिनांक–10-3-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

10/3/17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

10.3.17